समाजशास्त्र में पीएचडी में पंजीकरण हेतु शोध प्रारूप

विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

शोध का शीर्षक : झारखंड में मानव तस्करी एक विकराल समस्या धनबाद के संदर्भ में

शोधकर्ता

कुमारी रमा उपाध्याय

शोध निदेशक

डॉ. दीपक कुमार सिंह

विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

1. शोध परिचय

मानव तस्करी दुनिया भर में एक गंभीर समस्या बनकर उभरी है । यह एक ऐसा अपराध है, जिसमें लोगों को उनके शोषण के लिए खरीदा और बेचा जाता है । खरीदे जाने के बाद उसका इस्तेमाल मुफ्त में आजीवन मजदूरी करने उसके शरीर के अंगों को बेचने एवं अन्य लाभ प्राप्ति हेतु किया जाता है। रिकॉर्ड ब्यूरो के नए आंकड़ों के अनुसार ट्रैफिकिंग में ह्यूमन ट्रैफिकिंग तीसरे नंबर पर है । मानव तस्करी के शिकार लोगों में 20% बच्चे शामिल है, जो कि पिछले 10 सालों में 14 गुना बढ़ा है । साल 2014 में इसके आंकड़े 65 प्रतिशत से भी ज्यादा थे । मानव तस्करी में मुख्य रूप से बच्चों और औरतों को खरीदा और बेचा जाता है । यौन शोषण, देह व्यापार, जबरन मजदूरी, जबरन शादी, घरेलू बेकार ही करवाना, गोद देना, भीख मंगवाना, अंगों का प्रत्यारोपण करवाना एवं मादक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान भिजवाने के लिए महिलाओं तथा बच्चों की मानव तस्करी की जाती है । मानव तस्करी एक संगठित अपराध है और मानवाधिकार के हनन का सबसे घृणित नमूना है । यह एक विकराल और भयावह अपराध है । यह आधुनिक गुलामी का एक रूप है । अधिकांश देशों में अवैध है । प्रभावित लोगों के लिए मानव तस्करी के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लोगों

का लंबे समय तक शोषण किया जाता है और आघात जीवन भर के लिए रह सकता है। इससे प्रभावित लोगों का शारीरिक और मनोवैज्ञानिक शोषण के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा को भी आघात लगता है। मानव तस्करी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है। 80% मानव तस्करी जिस्मफरोशी के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत अपराधी द्वारा मानव को एक देश से दूसरे देश में पैसे के लिए बेचा जाता है। मानव तस्करी में अधिकांश बच्चे गरीब इलाके के होते हैं, जिसमें से ज्यादातर गांव की लड़कियां शामिल होती है । गांव जैसे छोटी इकाई में अत्यधिक शिक्षा की कमी, सरकार द्वारा नीतियों का लागू न होना बच्चियों को मानव तस्करी का शिकार बनाने की सबसे बड़ी वजह है। एशिया के मामले में भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मानव तस्करी जैसे अपराध होते हैं । मानव तस्करी के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देश में शामिल है। इसे मानव तस्करी का स्रोत, पारगमन और गंतव्य माना जाता है। पश्चिम बंगाल मानव तस्करी का नया केंद्र बनकर उभरा है। भारत से पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोपीय देशों में मानव तस्करी होती है। झारखंड एक ऐसा राज्य है, जहां मानव तस्करी एक विकराल समस्या के रूप में विद्यमान है। भारत में मानव तस्करी से पीड़ित 10 राज्यों में झारखंड चौथे स्थान पर है। झारखंड से अधिकांश तस्करी आदिवासियों की घरेलू श्रम के लिए महानगरों में होती है। दिल्ली जैसे शहरों में कई अवैध प्लेसमेंट एजेंसियां सामने आई है। यह एजेंसियां रोजगार मुहैया कराने के नाम पर ज्यादातर मासूम लड़कियों की तस्करी गैरकानूनीतरीके से कानूनी खामियों का फायदा उठाते हुए करते हैं। इन लड़कियों के लिए 12 से 14 घंटे काम करना एक नियमित अभ्यास है। कुछ पीड़ितों को बंधुआ मजदूरी और जबरन विवाह के उद्देश्य से हरियाणा और पंजाब ले जाया जाता है। झारखंड से सेरोगेसी के लिए भी महिलाओं की तस्करी की जाती है। जिसमें बच्चे पैदा करवा कर बच्चों को बेचा जाता है। झारखंड आज भारत में अंतर्देशीय तस्करी के लिए एक प्रमुख स्रोत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। धनबाद, बोकारो और हजारीबाग जिलों में रेड लाइट एरिया भी मौजूद है। तस्करी प्रभावित जिलों में गुमला, गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, रांची, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा और लोहरदगा शामिल शामिल है। झारखंड से तस्करी की गई अधिकांश महिलाएं उरांव, मुंडा, संथाल और गोंड जनजातियों से संबंधित है। जिनमें से अधिकांश उरांव और मुंडा से है। उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योगों में बाल श्रम हेतु झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में अत्यधिक तस्करी बच्चों की होती है। प्लेसमेंट एजेंसियां आदिवासी बच्चों को दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव और नोएडा समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के घरों में घरेलू कार्य हेतु सप्लाई करती है, जहां उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। एजेंसियां ज्यादातर 11 से 16 आयु वर्ग के बच्चों को निशाना बनाती है। जो शोषण के बाद भी मुंह बंद रखते हैं। अवैध व्यापार किए गए पीड़ितों को भीड़-भाड़ वाले कमरों में रखा जाता है। जब तक उन्हें कहीं बेचा अथवा भेजा नहीं जाता, तब तक जीवित रहने के लिए मुश्किल से पर्याप्त भोजन दिया जाता है। झारखंड एक पिछड़ा राज्य है, जहां निरक्षरता, स्थाई रोजगार की कमी, कृषि के लिए खराब सिंचाई सुविधा, एक फसल पैटर्न,

जागरूकता की कमी, राजनीतिक अस्थिरता कुछ ऐसे कारण हैं जो लोगों को असुरक्षित प्रवासन के लिए सहमत होने के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। जो बाद में अवैध व्यापार के शिकार बन जाते हैं। झारखंड बाल श्रम की एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। भारत में सबसे बड़ा मानव तस्कर रैकेट झारखंड के एक पति-पत्नी की जोड़ी चलाती थी। इस जोड़ी का नाम पन्नालाल महतो और सुनीता देवी है, जो खूंटी जिले के एक सुदूर गांव के रहने वाले हैं। दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर इस चर्चित और कुख्यात दंपति ने कम से कम एक अरब रुपए की दौलत खड़ी की है। पाँच हजार लड़कियों और महिलाओं को काम दिलाने के नाम पर देश के बड़े-बड़े शहरों में बेच दिया गया। देश की दो बड़ी एजेंसियां एनआईए और ईडी मामले की जांच कर रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मानव तस्करी के जितने मामले पूरे देश में सामने आते हैं, उनमें 4.2 फ़ीसदी घटनाएं झारखंड में होती है। यहां प्रत्येक 10 लाख में 12,700 लोग तस्करी से पीड़ित है। भारत में मानव तस्करी की दर 0.4% है, जबकि झारखंड में 1.27% । पीआरआई की और से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड से ज्यादातर बच्चों को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम भेजा जाता है ।

2. समस्या का विवरण

मानव तस्करी वह अपराध है जहां एक व्यक्ति अपने लाभ हेतु धन प्राप्त करने के लिए दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है। मानव तस्कर अपने पीड़ितों की संवेदनशील स्थिति का फायदा उठाकर उन पर नियंत्रण कर लेते हैं। अक्सर वे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हिंसा का प्रयोग करते हैं और पीड़ित/पीड़िता की स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। मानव तस्करी में किसी प्रकार का श्रम या व्यावसायिक कार्य प्राप्त करने के लिए बल धोखाधड़ी या जबरदस्ती का उपयोग शामिल है। हर साल दुनिया भर में लाखों पुरुष महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जाती है। पीड़ितों को तस्करी की स्थिति में फंसाने के लिए तस्कर कई तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें हिंसा, चालाकी, तनख्वाह वाली नौकरियों के झूठे वादे, रोमांटिक धोखाधड़ी आदि शामिल है। भाषा की बाधाएं उनके तस्करों का डर और कानून प्रवर्तन का डर अक्सर पीड़ितों को मदद मांगने से रोकता है, जिससे मानव तस्करी एक छिपा हुआ अपराध बनकर उभरा है। तस्कर ऐसे लोगों की तलाश करते हैं, जो कई कारण से आसान लक्ष्य हो जिनमें मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक भेद्धता, आर्थिक कठिनाई, सामाजिक सुरक्षा का अभाव प्राकृतिक आपदाएं एवं राजनैतिक अस्थिरता आदि आता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 370 मानव तस्करी के अपराधों को दंडनीय अपराध मानता है। भारत सरकार मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए न्यूनतम मानकों को भी पूरा नहीं कर पा रही, परंतु महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के बाद संगठित अपराध के लिए मानव तस्करी को लाभ के तीसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप

में पहचाना गया है। जिसमें वैश्विक स्तर पर अरबों डॉलर की कमाई होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में हर साल 6 से 8 लाख बच्चे शिकार होते हैं। आमतौर पर महिलाओं और बच्चों की तस्करी भीख मांगने,7 अंग व्यापार, नशीली दवाओं की तस्करी, बंधुआ मजदूरी, घरेलू काम, कृषि श्रम, निर्माण कार्य के लिए की जाती है। कालीन उद्योग, जबरन वेश्यावृति, यौन पर्यटन, अश्लील साहित्य और मनोरंजन तथा खेल के लिए भी जिसमें बीयर बार, ऊंट जॉकी और सर्कस सैनिक शामिल है। तस्करी एक बहुत बड़ा उद्योग है, जिसे दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते आपराधिक उद्योग के रूप में जाना जाता है। इस खंड में बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और अंगों की चोरी आता है। दिसंबर 2020 में सरकार ने देशभर की दस हजार पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए अतिरिक्त एक बिलियन रुपए आवंटित किए। मानव तस्करी की समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 11 जनवरी को विश्व मानव तस्करी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। मानव तस्करी के ज्यादातर मामले छोटे बच्चों या बालिकाओं के आते हैं। छोटे बच्चों को बाल श्रम के लिए दूसरे राज्य में गैर कानूनी तरीके से लाया जाता है। बच्चों को भीख मंगवाने, होटलों, घरों, ढाबों और दुकानों में काम करने के लिए भी बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है। बालिकाओं को देह व्यापार के लिए तस्करी की जाती है। भारत में कुछ इलाकों की तुलना अफगानिस्तान, सीरिया, इराक से भी किया जाता है।

मानव तस्करी रिपोर्ट 2021 में भारत को टीयर दो श्रेणी में रखा गया है। तस्करी के जोखिम का सामना कर रहे व्यक्तियों की बढ़ती संख्या, अवैध तस्करी कर्ताओं की प्रतिस्पर्धी संकटों का लाभ उठाने की क्षमता और महामारी पर प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए संसाधनों के विपथन डायवर्जन आदि का सम्मिलन मानव तस्करी के फलने-फूलने एवं विकसित होने के लिए एक आदर्श वातावरण के रूप में परिणत हुआ है।

भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार 2022 के दौरान देश में 6500 से अधिक मानव तस्करी पीड़ितों की पहचान की गई है। जिनमें से 60% महिलाएं और लड़कियां थी। विशेषज्ञों का मानना है की तीव्र अंडर रिपोर्टिंग के कारण वास्तविक संख्या कहीं अधिक है।

2017 के भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण और एनसीआरबी के अनुसार लगभग 9 मिलियन की जनजातीय आबादी और देश में बाहर जाने वाले प्रवासियों के उच्चतम प्रतिशत के साथ झारखंड भारत में मानव तस्करों द्वारा लक्षित प्राथमिक स्थान में से एक है।

झारखंड में मानव तस्करी को रोकने के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन आहान फाउंडेशन के संस्थापक रश्मि तिवारी ने वीओए को बताया की नई दिल्ली में कार्यरत 60% से अधिक घरेलू कामगार

झारखंड से है। एनजीओ का अनुमान है कि यौन व्यापार के हिस्से के रूप में पड़ोसी देशों से सालाना 12 हजार से 50 हजार महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जाती है। भारत में अनुमानित 3 लाख बाल भिखारी है। हर साल 44 हजार बच्चे गिरोह के चंगुल में फंस जाते हैं। भारत में मानव तस्करी के परिणाम स्वरुप महिलाओं को मानसिक और शारीरिक दोनों समस्याओं से पीड़ित होना पड़ता है। मानसिक मुद्दों में पीटीएसडी, अवसाद और चिंता जैसे विकार शामिल हैं। तस्करी पर नियंत्रण की कमी के कारण महिलाओं में मानसिक विकारों से पीड़ित होने का खतरा बढ़ जाता है। जिन महिलाओं को तस्करी के लिए मजबूर किया जाता है, उनमें एचआईवी टीबी और अन्य एसटीडी का खतरा अधिक होता है। अमेरिकी विदेश विभाग के कार्यालय ने 2017 में देश को टियर-2 में शामिल किया।

भारत सरकार अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम आईटीपीए के माध्यम से व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी को दंडित करती है, जिसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा निर्धारित है। भारत बंधुआ श्रम अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के माध्यम से बंधुआ और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।

3. उपलब्ध साहित्य की समीक्षा

1. भारत में महिलाओं की तस्करी एक गंभीर विश्लेषण : श्रीमती एन राधा :

इसमें बताया गया कि मानव तस्करी में दुर्व्यवहार करने वाले, जिनमे तस्करी, भर्ती करने वाले, ट्रांसपोर्टर, विक्रेता, खरीददार, अंतिम उपयोगकर्ता आदि शामिल है। तस्करी किए गए व्यक्ति की विश्वसनीयता का फायदा उठाते हैं ।वैश्वीकरण के साथ तस्करी में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, जोखिम के साथ मुनाफा बढ़ रहा है। संगठित गतिविधियां, कम प्रवर्तन में कम प्राथमिकता आदि ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है।

2. एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो), प्रभात खबर , 26 सितंबर 2022 :

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 के लेटेस्ट आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 81.36 फ़ीसदी मामले सिर्फ 10 राज्यों से आते हैं, जिसमें झारखंड भी शामिल है। इसके अनुसार 4.2 फीसदी घटनाएं झारखंड में होती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2189 मानव तस्करी की केस देश भर में दर्ज किए गए हैं।

3. शक्ति वाहिनी, 2 अप्रैल 2015 :

झारखंड से अधिकांश तस्करी आदिवासियों की घरेलू श्रम के लिए महानगरों में होती है। दिल्ली जैसे शहरों में तस्करों की अवैध प्लेसमेंट एजेंसियां सामने आई है। जो रोजगार के नाम पर मासूम लड़कियों और बच्चों का तस्करी करते हैं। झारखंड यौन शोषण के लिए तस्करी किए गए पीड़ितों के लिए न केवल एक स्रोत है, बल्कि एक गंतव्य भी है। धनबाद, बोकारो और हजारीबाग जिलों में रेड लाइट एरिया मौजूद है। गुमला, गढ़वा ,साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, पलामू, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा और लोहरदगा तस्करी प्रभावित जिलों में शामिल है। झारखंड से तस्करी की गई अधिकांश महिलाएं उरांव, मुंडा, संथाल और गोंड जनजातियों से संबंधित है।

4. भारत में मानव तस्करी : एक विश्लेषण : विमल विदुषी :

इस अध्ययन में मानव तस्करी को एक विकसित अपराध उद्योग के रुप में परिभाषित किया गया, साथ ही इसमें मानव तस्करी के विभिन्न कारणों एवं उद्देश्यों की चर्चा की गई है। इसमें बताया गया कि धारा 370 के अनुसार शारीरिक शोषण या यौन शोषण के किसी भी रूप, गुलामी, दासता और जबरन निष्कासन के समान प्रथाओं के लिए व्यक्तित्व की तस्करी निषिद्ध है।

5. भारत में मानव तस्करी : इसके मुद्दे और चुनौतियां मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य से एक अध्ययन :

अभिषेक सिंह भदोरिया - इसके अंतर्गत यह बताया गया कि मानव तस्करी 21वीं सदी की अप्रत्याशित अपराध का एक गंभीर मुद्दा बन गया है। शोषण के अर्थ के रूप में मानव तस्करी तेजी से आधुनिक दासता के रूप में संदर्भित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां हैं, जो विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए असुरक्षित स्थिति पैदा करती है जो तस्करी में फंसी हुई थी।

6. लाइव हिंदुस्तान : मो. आजम : 14 अगस्त 2023 :

इस रिपोर्ट के अनुसार धनबाद दलालों के लिए जंक्शन का काम करता है। मानव तस्करी में धनबाद के सभी एजेंट शामिल हैं। इस वर्ष 6 माह में बच्चों की तस्करी के चार मामले सामने आए हैं। धनबाद से ऐसे मामले आए हैं, जहां मानव तस्करी के विकराल रूप को देखा जा सकता है।

7. दैनिक जागरण : 26 मार्च 2022 :

मानव तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर रांची की कांटा टोली स्थित जेनिस्टा इन में झारखंड एंट्री ट्रैफिकिंग नेटवर्क के राज्य सेक्रेटेरिएट स्पार्क द्वारा सुरक्षित पलायन एवं जेंडर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर पूर्व जेएमएम महिला विंग की राष्ट्रीय कन्वेनर महुआ माजी, दूरदर्शन एंकर मधुकरजी, डॉ. किरण प्रसाद, अजय सिंह व अन्य मौजूद थे।डॉ. किरण के अनुसार महिलाएं पलायन समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा है और वे जेंडर आधारित हिंसा और घरेलू हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार होती है।

4. अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध के लिए मेरा अध्ययन क्षेत्र मुख्य रूप से झारखंड का धनबाद जिला है। झारखंड जो एक आदिवासी बहुल राज्य है, देश में मानव तस्करी के मामले में चौथे स्थान पर आता है। साथ ही धनबाद देश की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है। यह मानव तस्करी के जंक्शन के रूप में काम करता है। धनबाद जिले को 1956 में पूर्व मानभूम जिले के सदर उपखंड की पुराने धनबाद उपखंड चास और चंदनक्यारी पुलिस स्टेशनों को मिलाकर गठित किया गया। 2011 तक यह रांची के बाद झारखंड का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। यह झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात (908) वाला जिला है।

झारखंड का धनबाद जिला मानव तस्करी के लिए एक सुरक्षित जगह बना हुआ है। धनबाद तस्करों के लिए जंक्शन का काम कर रहा है। धनबाद में कोयला उठाने का काम बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। इसके कारण स्थानीय महिलाएं रोजगार से वंचित हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार अवैध कोयला कारोबारी स्थानीय महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलते हैं। जिससे बचने के लिए वह खुद को मानव तस्करों के अधीन कर देती है। यह अध्ययन 2018-19 के लिए कराया गया था। इसे बीकेएस के सचिव संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में किया गया।

धनबाद कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। धनबाद के कई क्षेत्र जैसे झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र है। इसलिए अग्नि प्रभावित क्षेत्रों और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता होती है। पुनर्वासितों को रोजगार की सबसे बड़ी समस्या होती है और रोजगार के कारण पलायन होता है। अतः धनबाद में पुनर्वास की समस्या के कारण मानव तस्करी को बढ़ावा मिलता है। मानव तस्करी का दलाल आदिवासियों को, अशिक्षितों को, गरीबों को और समाज के उन सदस्यों को जो समाज में हाशिए के समुदाय के सदस्य होते हैं वह अपना शिकार बनाते हैं। झारखंड जो मानव तस्करी

के मामले में चौथे स्थान पर आता है। यह एक आदिवासी बहुल राज्य है। जिसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और यहां आदिवासियों की गरीबी और शिक्षा उनके भाषा की बाधाएं और कई अन्य कारण से मानव तस्करों को उनके तस्करी करने में मदद मिलती है और वो एक आसान लक्ष्य के रूप में सामने आते हैं। झारखंड के बच्चों की तस्करी ज्यादातर दिल्ली में सुव्यवस्थित अवैध प्लेसमेंट एजेंसी रैकेट के माध्यम से होती है।

धनबाद का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 28,46,954 है और जन घनत्व 1300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। धनबाद की जमीन की सीमा प. बंगाल से लगती है, जो कि एक कारण है मानव तस्करी का । सर्वाधिक जनघनत्व होने के कारण धनबाद जिला में मानव तस्करी के दलालों को अपना शिकार आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा धनबाद आदिवासी बहुल इलाका भी है और मानव तस्कर का अधिकतर शिकार आदिवासी महिलाएं और बच्चे ही हुआ करते हैं। इस प्रकार धनबाद मानव तस्करों का जंक्शन बनकर उभरा है। वर्ष 2017 से लेकर 2022 के अंत तक मानव तस्करी के कुल 656 केस दर्ज किए गए । इनमें मानव तस्करी के शिकारों की संख्या 1574 थी। झारखंड में मानव तस्करी का शिकार होने वाली बच्चियों में 90 फ़ीसदी आदिवासी है। वहीं 10 फ़ीसदी दलित समुदाय से आते हैं।

5. समस्या जिसकी खोज की जाएगी

मानव तस्करी एक अमानवीय, घिनौना और घृणित अपराध है। जिसमें तस्करी के शिकारों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है और शारीरिक शोषण के कई रूपों में की जाती है। प्रस्तुत शोध के द्वारा उन समस्याओं को उजागर किया जाएगा। जिससे गरीब और बेसहारा लोग इस जाल में फंसते हैं। मानव तस्करी के पीछे अशिक्षा, गरीबी, जागरूकता का अभाव आदि कई कारण हैं, जो इस प्रकार से हैं:

1. गरीबी और अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है।
2. मांग और आपूर्ति का सिद्धांत
3. बंधुआ मजदूरी
4. सामाजिक असमानता
5. क्षेत्रीय लैंगिक असंतुलन

6. बेहतर जीवन की लालसा

7. सामाजिक सुरक्षा की चिंता

मानव तस्करी के उद्देश्य :

1. महानगरों में घरेलू कामों के लिए होती है लड़कियों की तस्करी ।

2. चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए भी होती है।

3. शारीरिक अंदरूनी अंगों की कालाबाजारी

4. भीख मंगवाना एक व्यापार के रूप में

5. कुछ राज्यों में लिंगानुपात कम होने के कारण जबरन लड़कियों की शादी करवाया जाता है ।

6. मजबूरी का फायदा उठाकर तस्करी की जाल में फंसाया जाता है और नशीली तथा अवैध दवाओं की तस्करी में लगाया जाता है।

7. जबरन वेश्यावृति कराना

8. बंधक मजदूर बनाना या गुलामी कराना ।

6. शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का विषय झारखंड की एक विकराल समस्या है, जिससे पीड़ित व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और पीड़ित व्यक्ति को मानसिक आघात होता है। मानव तस्करी के पीड़ित व्यक्ति इस अत्याचार के खिलाफ खुलकर बोलना भी नहीं चाहता तथा तस्कर मासूम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उन्हें डराकर, धमकाकर, बरगलाकर, लालच देकर आदि कई उपायों से तस्करी करते हैं। परंतु अगर लोगों में ज्ञान और जागरूकता होगी तो किसी प्रकार की मजबूरी नहीं होगी और मानव तस्करी जैसे घिनौने अपराध को रोका जा सकता है। प्रस्तुत शोध का निम्नलिखित उद्देश्य है:

1. शोध कार्य से कुछ ऐसी कारणों की खोज करना जिससे सरकार और समाज दोनों अनभिज्ञ है और चूंकि यह एक सामाजिक समस्या है। अतः लेखों द्वारा, आर्टिकल द्वारा आम जनता को इस विकराल समस्या की जानकारी देना ।

2. शोध कार्य के द्वारा समाज और आम जनता को मानव तस्करी के पीछे के कारणों के बारे में सजग करना, जानकारी देना और कारणों की पहचान कराना ।

3. शोध कार्य का एक और उद्देश्य यह है कि आम जनता को मानव तस्करी के खिलाफ बने हुए कई कानूनों के बारे में पता भी नहीं है। शोध लेखों द्वारा आम लोगों को मानव तस्करी के खिलाफ वने कानूनों का पता लगेगा ।

4. उन कमियों को उजागर करना जिसके कारण सही कानून बनने के बाद भी तस्करों को और अपराधियों को सजा नहीं हो पा रही है।

5. उन कारणों का पता लगाना जिससे आधी से अधिक मानव तस्करी के मामले कानून में दर्ज भी नहीं हो पाते हैं। कुछ ही ऐसे मामले होते हैं जो कानून में दर्ज होते हैं।

6. उन समस्याओं को भी उजागर करना जिस कारण तस्करी से पीड़ित लोग अपनी समस्या को छुपाने की कोशिश करते हैं और मानव तस्करी से पीड़ित लोग समाज में प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आना चाहते।

7. परिकल्पनाएं

संबंधित शोध विषय समाज का एक भयावह रूप है जिसमें मेरी परिकल्पनाएं निम्न प्रकार की है :

1. यदि शोध से कुछ ऐसी कारण की खोज हो जाती है, जिससे समाज, सरकार और आम लोग भी अनभिज्ञ हैं। तब स्वाभिक रूप से मानव तस्करी में कमी आएगी। साथ ही लेखों और आर्टिकलों द्वारा लोगों में इस अपराध के प्रति जागरुकता आएगी।

2. यदि शोध के द्वारा आम जनता को मानव तस्करी के कारणों का पता लगेगा, तो लोग इन घृणित तस्करों के जाल में फंसने से बच सकते हैं।

3. मानव तस्करी एक बड़ी घृणित अपराध है इसलिए इसके खिलाफ कई कानून भी बने हैं, परंतु साधारण जनता इन कानूनों से अनभिज्ञ है। मेरे शोध कार्य के द्वारा यदि लोगों को इन कानूनों का पता चलता है, तो वह अपने प्रति हुए अन्याय के खिलाफ न्याय पा सकते हैं। मुजरिमों को सजा दिला सकते हैं।

4. कई कानून बनाकर भी मानव तस्करी के अपराध को खत्म नहीं किया जा पाया है। शोध के जरिए यदि उन कारणों का पता लगेगा, जिससे कानून सही मायने में काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपराधियों को उचित दंड मिल पाएगा। जिससे अपराध के प्रति मन में भय पैदा होगी और इससे अपराध के प्रति जागरूकता फैलेगी।

5. यदि उन कारणों का पता चल जाएगा कि क्यों सभी मामले कानून में दर्ज नहीं हो पाए तो आगे से उन कारणों को समाप्त किया जाएगा। जिससे लगभग सभी मामले कानूनों में दर्ज हो और कानून के प्रति जो आम जनता में भय की स्थिति बनी हुई है उस भय की स्थिति को भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

6. यदि उन परिस्थितियों का पता लग जाएगा जिसके कारण समाज में लोग अपने साथ हुए अपराध को छुपाते हैं। समाज में जागरूकता और ज्ञान फैलाकर लोगों को सजग किया जाएगा, जिससे वह अपने साथ हुए अपराध की जानकारी साझा कर पाएंगे।

8. अनुसंधान डिजाइन और कार्य प्रणाली:

प्रस्तुत शोध विषय एक सामाजिक समस्या है, इसमें तथ्यों को उजागर करने के लिए अनुसंधान पद्धति में वैज्ञानिकता लाना आवश्यक है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान के लिए अनुसंधान पद्धति बहुत आवश्यक है। प्रस्तुत शोध वैज्ञानिक विधि पर आधारित होगा, जिसमें अनुसंधान पद्धति की विभिन्न चरणों का प्रयोग किया जाएगा। जिसे शोध विषय से संबंधित तथ्यों को विभिन्न अनुसंधान पद्धति से उजागर किया जाएगा। अध्ययन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत शोध अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, शोध प्ररचना का उपयोग किया जाएगा। अन्य विश्लेषणात्मक शोध विधियों से विषय के बारे में उपलब्ध साहित्य के पुनरावलोकन द्वारा अधिक विस्तृत सूचनाएं प्राप्त होती है।

सैंपलिंग डिजाइन और डाटा संग्रह :

पारिवारिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रभाव को देखते हुए संबंधित प्रश्नों की प्रश्नावली बनाई जाएगी। मानव तस्करी की पीड़ितों से पूछताछ की जाएगी और आसपास के परिवारों से प्रश्नावली एवं अनुसूची का उपयोग करके डाटा एकत्रित किया जाएगा। साथ ही कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा पुनरप्राप्ति करने के लिए एक उपयुक्त डेटा संरचना में डेटाबेस विकसित किया जाएगा।

गुणात्मक पद्धति:

शोध के लिए अध्ययन पद्धति में गुणात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, जिससे क्यों और कैसे के सवालों के जवाब ढूंढी जाएंगे। इसके अंतर्गत उन सभी सवालों को ढूंढा जाएगा जिसके कारण मानव तस्करी हो रही है और इसे रोका नहीं जा पा रहा।

मात्रात्मक शोध :

शोध का विषय एक आपराधिक और सामाजिक विषय है। अतः इसमें 50 लोगों से जो किसी न किसी तरह मानव तस्करी से संबंधित है सवाल पूछे जाएंगे।

9. उपकरण जो तथ्य संकलन के लिए आवश्यक है :

पूरे झारखंड और धनबाद में मानव तस्करी के पीड़ितों को अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत शोध के लिए दो प्रकार के आंकड़ों जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा दोनों का संकलन किया जाएगा। प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार, अवलोकन आदि विधि का प्रयोग किया जाएगा एवं द्वितीय स्रोतों के अंतर्गत जनगणना आंकड़ा, पुस्तकों समाचार पत्र, जर्नल एवं कई प्रकार की सरकारी दस्तावेजों का प्रयोग किया जाएगा। डाटा एकत्रित करने के लिए देव निदर्शन के तहत 50 परिवारों या सूचना दाताओं को चयनित किया जाएगा।

प्रस्तुत विषय के लिए अध्ययन हेतु प्रभावितों से साक्षात्कार के द्वारा उनकी समस्याओं को समझा जाएगा एवं सरकारी योजनाओं की जो मानव तस्करी के विरुद्ध संबंधित है। उनका वर्तमान परिपेक्ष्य में अध्ययन किया जाएगा। साथ ही मानव तस्करी से पीड़ित लोगों के के प्रति जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसका अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन क्षेत्र में स्थित पीड़ितों में कुछ के रिपोर्ट को दर्ज किया गया है और कुछ के रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है। जिसका आंकड़ों के द्वारा, प्रश्नावली के द्वारा, अनुसूची के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा । शोध विषय के अध्ययन हेतु वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक दोनों पद्धतियों के द्वारा विशेष रूप से सेकेंडरी डाटा कलेक्शन पद्धति के द्वारा जानकारियां हासिल की जाएगी। अध्ययन के लिए जनगणना या संगणना विधि का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि प्रस्तुत अध्ययन में विभिन्न प्रकार के आयु वर्ग वाले व्यक्तियों को तस्करी में धकेला गया है।

10. मौजूदा ज्ञान में योगदान :

लोगों में जागरुकता आएगी, कानून व्यवस्था चुस्त होगी, कड़े कानून व्यवस्थाएं बनेगी, उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जो इस प्रकार के अपराध के अनुकूल हो और वहां विशेष व्यवस्था स्थापित की जाएगी। जिससे इस प्रकार के सामाजिक अपराध में कमी आएगी साथ ही मानव तस्करी संबंध उन कानून की समीक्षा भी की जाएगी जो मानव तस्करी के खिलाफ बने हैं। प्रस्तावित वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से कई नई कारण और कई नई घटनाओं का पता चल पाएगा। प्रस्तावित शोध के द्वारा साहित्य की समीक्षा करके और रिपोर्टों की समीक्षा करके मानव तस्करी में जो कमियां रह गई है, उसे उजागर करने की कोशिश की जाएगी। मानव तस्करी को रोकने वाली कई नई चुनौतियों को सामने लाया जाएगा ।

11. प्रस्तावित कार्य का महत्व :

प्रस्तावित शोध कार्य से मानव तस्करी संबंधित नई जानकारियां सामने आएगी। सामाजिक अपराध के खिलाफ जितने भी कानून बने उनका लोगों को पता लगेगा और विधि व्यवस्था सख्ती से लागू होगा । प्रस्तावित शोध के द्वारा उन लोगों में जागरूकता फैल सकती है जो अपने साथ हुए अपराध के बारे में बोलना भी नहीं चाहते। उन इलाकों में जहां रोजगार की सबसे बड़ी समस्या के साथ कई समस्याएं और है जिसे हल किया जा सकता है। जिससे लोगों में पलायन की समस्या दूर होगी।और इस अपराध में फंसने से बचेंगे।

12. संभावित अध्याय :

अध्याय 1 : परिचय : इस अध्याय में परिचय, झारखंड में मानव तस्करी की स्थिति, धनबाद में पाए गए तस्करी के मामले और कारणों पर चर्चा की जाएगी।

अध्याय 2 : साहित्य की समीक्षा: यह अध्याय झारखंड में हो रहे मानव तस्करी से संबंधित साहित्य लेखों आदि की समीक्षा की जाएगी।

अध्याय 3 : अनुसंधान पद्धति : इस अध्याय में नमूने के आकार, उपकरणों के चयन, एकत्र किए गए डेटा विश्लेषण और व्याख्या के लिए उपयोग किए जाने वाले सांख्यिकी संसाधनों के साथ अध्ययन के उद्देश्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा ।

अध्याय 4 : डाटा का विश्लेषण : इस अध्याय में प्राप्त डाटा की व्याख्या, विश्लेषण की जाएगी। प्राप्त डाटा से परिणाम और वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय 5 : निष्कर्ष और सिफारिशें : इस अध्याय में अध्ययन की जांच, परिणाम और निष्कर्षों को अध्ययन के निष्कर्ष के रूप में संक्षेपित किया जाएगा।

अध्ययन की जांच और सीमाओं के साथ भविष्य के शोध के लिए सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की जाएगी।

13. संदर्भ सूची

1. एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो), प्रभात खबर, 26 सितंबर 2022
2. शक्ति वाहिनी : 2 अप्रैल 2015
3. दैनिक जागरण : 26 मार्च 2022

4. मानव तस्करी डॉक्टरेट व्यावसायिक थेरेपी छात्रों के जागरूकता ज्ञानात्मक प्रभावकारिता और भविष्य की प्रशिक्षण का मूल्यांकन : कैथरीन बायल : जनवरी 2024

5. मानव तस्करी से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की क्षमता : फिलिप्स वजोप्टा : 19 जनवरी 2024

6. स्थानीय स्तर पर श्रम तस्करी की पहचान करने की चुनौतियां : कैलिफोर्निया में सेवा प्रदाताओं और हित धारकों का गुणात्मक अध्ययन : वेरोनिका एम हरेरा : 16 जनवरी 2024

7. भारत में मानव तस्करी का व्यापार : संकल्प श्रीनाथ : अगस्त 2020

8. भारत में मानव तस्करी एक विश्लेषण : विमल विदुषी

9. भारत में मानव तस्करी : श्री जी रंगाराव : जुलाई 2018

10. भारत में मानव तस्करी : जफ्फार लतीफ नजर : नवंबर 2014

11. भारत में महिलाओं और बच्चों में मानवाधिकार और तस्करी : संजय राय : 23 अगस्त 2017

12. भारत में यौन तस्करी की प्रकृति एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य : रश्मि राय : जनवरी 2021

13. महिला तस्करी की राजनीति एक सर्वेक्षण : रुचिता चक्रवर्ती और मानस चक्रवर्ती : जून 2013

14. भारत में मानव तस्करी इसके मुद्दे और चुनौतियां मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य से एक अध्ययन : अभिषेक सिंह भदोरिया : 2019

15. मानव तस्करी या आधुनिक गुलामी : अनन्या तिवारी : 25अगस्त 2023

16. मुरझाया बचपन भारत में बच्चा तस्करी : नीलांजना राय

17. मानव तस्करी कारण और आशय : शशि पूनम और संदीप शर्मा

18. मानव तस्करी : मो. उमर सिद्दीकी

19. दो कदम आगे दो कदम पीछे यौन तस्करी पर कानूनी प्रतिक्रिया : मैलानी के वास्ली : 19 दिसंबर 2023

20. स्थानीय स्तर पर श्रम तस्करी की पहचान करने की चुनौतियां कैलिफोर्निया में सेवा प्रदाताओं और हितधारकों का गुणात्मक अध्ययन : वेरोनिका एम हरेरा : 16 जनवरी 2024

21. भारत में महिलाओं की तस्करी एक गंभीर विश्लेषण : श्रीमती एन राधा

22. भारत के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में यौन व्यापार की प्रकृति : रश्मि राय

23. भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में मानव तस्करी के दृश्यों के विशेष संदर्भ में भारत में मानव तस्करी का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य : शताब्दी बागची

24. महिला तस्करी पर राजनीति : आर चक्रवर्ती 2013

25. भारत में यौन तस्करी औपचारिक और अनौपचारिक समर्थन की भूमिका : सी ई हेल्पिंग्सटन ।

शोधार्थी
कुमारी रमा उपाध्याय
पीएचडी समाजशास्त्र विभाग
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद

शोध निदेशक
डॉ. दीपक कुमार सिंह
विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद